

ध्यानाकर्षण स्मरण-पत्र
अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.5(ट-29)कोष/बजट/हैड/2010-11/268-५०७

दिनांक:- 21/4/2011

समस्त विभागाध्यक्ष,
वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी
वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी
(बजट नियन्त्रण अधिकारी)
राजस्थान।

विषय:- मुख्य एवं लघुशीर्ष मदों के पुनरीक्षण के संबंध में।

- प्रसंग:- (1) इस विभाग के परिपत्र दिनांक 14.12.10, 24.12.10 एवं पत्र क्रमांक 6249-941 दिनांक 10.01.2011 तथा 8056-355 दि. 21.02.11
(2) निदेशक (बजट) वित्त विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक: एफ.8(22) एफ.डी.1(1)बजट/2000/पीटी-V दिनांक 21.12.2010

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्रों एवं पत्रों के माध्यम से मुख्य एवं लघुशीर्ष मदों के पुनरीक्षण के संबंध में आपकी राय एवं सुझाव विभाग को ई-मेल (dir-ta-rj@nic.in) पर शीघ्र प्रेषित करने हेतु निरन्तर लिखने के उपरान्त भी आपके विभाग की वांछित सूचना अभी तक अपेक्षित है।

मुख्य एवं लघुशीर्ष मदों के पुनरीक्षण की विस्तृत सूचना विभागीय वेबसाईट (dta.raj.nic.in) पर Circular पर उपलब्ध है। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि मुख्य एवं लघुशीर्ष मदों के पुनरीक्षण के संबंध में अपनी राय एवं सुझाव दिनांक 15.05.11 तक व्यवितशः/ई-मेल के माध्यम से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि सूचना संकलित कर निदेशक, वित्त (बजट) विभाग को प्रेषित की जा सके।

भवदीय

निदेशक

सर्व-जनक अधिकारी
कानूनी दस्तावेज़

प्रकाश नियमाला
सुनिश्चित नियमाला तथा इनका अधिकारी

प्रकाश - कानूनी

For - RAS \ M-005 \ कानूनी नियमाला - अधिकारी

क्रमांक: एफ.5(ट-29)कोष / बजट / 2010-11 /

दिनांक:-

प्रतिलिपि: प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एन.आई.सी. वित्त भवन को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट के "CIRCULAR" शीर्षक के अन्तर्गत डालने का श्रम करें।

मेरे ज्ञान के साझेशुद्धि के लिए नियमाला
संयुक्त निदेशक (कोष एवं बजट)

एप्रिल ०१, २०११ कानूनी संग्रहीत के मानवी तथा (१) - १०८
वी १०८-१०८ तथा १०८-१०८ कानूनी १०८-१०८ कानून

(१) का एक कानून एप्रिल २०११ के अनुच्छेद विधी (उच्च) कानूनी (१)
०१०८-१०८ कानूनी १-डिसी ०००८ \ उच्च(१)। इस

नियमाला द्वारा इस नियमाला के लिए विधी कानूनी संग्रहीत की
लाई के लिए आवश्यक एवं विधान विधान के अनुच्छेद के लिए
विधान विधान के विधानी प्रत्यायी द्वारा द्वारा (प्रांतीय विधान सभा)

अनुच्छेद विधी की अनुच्छेद द्वारा की विधान के अनुच्छेद द्वारा द्वारा
द्वारा द्वारा की विधान के अनुच्छेद द्वारा द्वारा (प्रांतीय विधान सभा)
का एप्रिल १०८ कानूनी विधान के अनुच्छेद द्वारा द्वारा द्वारा (प्रांतीय विधान सभा)
द्वारा द्वारा की विधान के अनुच्छेद द्वारा द्वारा (प्रांतीय विधान सभा)

कानूनी